रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 20, 1985 (चैत्र 30, 1907)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 20, 1985 (CHAITRA 30, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	371
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	499
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	511
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	13059
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	349
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन, और नोटिस शामिल हैं	967
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	63
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	371
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	499
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued *by the Ministry of Defence*	3
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	511
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	13059
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	349
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	967
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	63
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 1985

सं० 38-प्रेज/85—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम चन्द्र सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 614/एन,
दिल्ली पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

13/14 मार्च, 1984 की रात्रि को थाना कश्मीरी गेट के कांस्टेबल राम चन्द्र सिंह, मोरी गेट के बाहर स्कूल रोड़ क्षेत्र में एक अन्य कांस्टेबल के साथ गश्ती ड्यूटी पर थे। इस क्षेत्र में खूब लूटपाट होती थी। प्रातः लगभग 5.20 बजे जब दोनों कांस्टेबल पुलिस सहायता बूथ के पास खड़े थे, तो उन्होंने तीन युवकों को मोरी गेट की ओर से संदिग्ध परिस्थिति में आते हुए देखा। पुलिस को ड्यूटी पर देखकर वे पीछे मुड़ गए। दोनों कांस्टेबलों ने उनका पीछा किया और निकलसन रोड़ पर छोटती मंजिल के पास एक गली में घेर लिया। आततायियों में से एक ने रिवाल्वर निकाला और कांस्टेबल राम चन्द्र सिंह पर दो गोलियां चलाई। एक गोली कांस्टेबल राम चन्द्र सिंह के कूल्हे के दायें ओर लगकर पेट में घुस गई। कांस्टेबल राम चन्द्र सिंह ने निहत्था होते हुए भी आततायियों का पीछा करने का प्रयास किया और अपना कर्तव्य पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया दूसरे कांस्टेबल ने भी उनका पीछा किया, किन्तु संदिग्ध युवक बचकर भाग गए।

इस प्रकार श्री राम चन्द्र सिंह, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 मार्च, 1984, से दिया जाएगा।

सं० 39-प्रेज/85—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री इन्द्र सिंह,
पुलिस उप महानिरीक्षक,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
एजल,
मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

22 दिसम्बर, 1983, को लगभग 9.00 बजे (पूर्वाह्न) 33 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का कांस्टेबल राज सिंह जब मेहरपुर, सिलचर, में ट्रांजिट कैम्प के मैगजीन गार्ड पर संतरी की ड्यूटी दे रहे थे तो अचानक उसने [illegible] श्री [illegible], [illegible], तथा श्री [illegible], उप-निरीक्षक, तथा श्री नरेश प्रसाद, रेडियो आपरेटर, की हत्या कर दी। उसने अन्य लोगों को दूर भागने के लिए उसी समय कुछ और राउंड चलाए और गोली लगने के कारण श्री बलबीर सिंह, कांस्टेबल, भी जख्मी हो गए। इस घटना के कारण कैम्प में आतंक छा गया क्योंकि सभी हथियार मैगजीन कक्ष में रख दिए गए थे। यह सब कांस्टेबल राज सिंह ने इस लिए किया कि उसके विचार में छुट्टी मंजूर करने के संबंध में उसके साथ अन्याय किया गया। उनके पास अतिरिक्त मैगजीनों के साथ दो भरी हुई एस० एल० आर० थी। इसी दौरान मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा। कांस्टेबल राज सिंह ने उप-महानिरीक्षक इन्द्र सिंह जो उस समय सिलचर गए हुए थे, के सामने आत्मसमर्पण करने का वायदा किया। श्री के० लालछुंगा, दक्षिणी रेंज के उप-महानिरीक्षक, और श्री जे० आर० सालीग्राम, पुलिस अधीक्षक, घटनास्थल पर पहुंचे और कांस्टेबल राज सिंह को निरस्त्र करने के लिए योजनाएं तैयार कीं। फिर भी उन्होंने श्री इन्द्र सिंह, उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, के पहुंचने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय किया। तत्पश्चात् श्री इन्द्र सिंह वहां आए और उन्होंने श्री के० लालछुंगा सहित श्री राज सिंह को आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया। लेकिन उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया। श्री इन्द्र सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और उस पर विजय पाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। इसलिए वह अपराधी को पकड़ने की योजना बनाते रहे। लगभग 2135 बजे अपराधी राज सिंह स्वयं आग तापने के लिए मैस के भोजनालय के भीतर जाना चाहते थे। श्री जे० आर० सालीग्राम, पुलिस अधीक्षक, भी वहां पर उपस्थित थे और श्री के० लालछुंगा, उप-महानिरीक्षक, दक्षिणी रेंज, वी० आई० पी० रूम में थे। जब अपराधी तंग रास्ते से भोजनालय की ओर जा रहा था तो श्री इन्द्र सिंह ने पकड़ने का प्रयत्न किया। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री इन्द्र सिंह बिजली के समान तेज गति से अपराधी राज सिंह पर कूदे और उसे पीछे से पकड़ लिया। अपराधी ने अपने आपको छुड़ाने की पूरी कोशिश की, परन्तु श्री इन्द्र सिंह ने ढील नहीं छोड़ी और राइफल को मजबूती के साथ पकड़ा। फिर भी, अपराधी बाईं ओर घूमा और एक गोली चलाई जो सौभाग्यवश आकाश की ओर गई। अपराधी ने पुनः श्री इन्द्र सिंह को अपनी राइफल का निशाना बनाया तथा दो और गोलियां चलाईं परन्तु श्री इन्द्र सिंह ने इसे मजबूती से आकाश की ओर पकड़े रखा। इसी समय श्री के० लालछुंगा, पुलिस उप-महानिरीक्षक, साथ के वी० आई० पी० रूम से भागे और कांस्टेबल राज सिंह को कमर से पकड़ लिया। अपराधी पर काबू पाने के लिए लड़ते समय श्री लालछुंगा तंग रास्ते में गिर पड़े। इसी दौरान श्री इन्द्र सिंह ने अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त किया और अपराधी को पकड़ा तथा उसे नीचे पछाड़ दिया। उसी समय श्री सालीग्राम, पुलिस अधीक्षक, भी घटनास्थल पर पहुंचे और श्री इन्द्र सिंह ने उसे अपराधी की एस० एल० आर० राइफल जिसे उसने अपने पांव के नीचे मजबूती से दबा रखा था, को छीनने का आदेश दिया। अन्ततः अपराधी राज सिंह को निःशस्त्र करके उस पर काबू पा लिया।

इस प्रकार श्री इन्द्र सिंह, पुलिस उप-महानिरीक्षक, ने अदम्य साहस, शूरता और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 दिसम्बर, 1983, से दिया जाएगा।

सं० 40-प्रेज/85—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथ पद

श्री के० लाल छुंगा,
पुलिस उप-महानिरीक्षक, एस० आर०,
जिला कछार,
असम।

श्री जे० आर० सालीग्राम,
पुलिस अधीक्षक,
जिला कछार,
असल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

22 दिसम्बर, 1983, को लगभग 9.00 बजे (पूर्वाह्न), 3 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कांस्टेबल राज सिंह जब मेहरपुर, सिलचर, में ट्रांजिट कैम्प के मैगजीन गार्ड पर संतरी की ड्यूटी दे रहे थे तो अचानक उसने गोली चलाई और श्री बाबू लाल शर्मा, उप-निरीक्षक, श्री युधिष्ठर, उप-निरीक्षक, तथा श्री नरेश प्रसाद, रेडियो आपरेटर, की हत्या कर दी। उसने अन्य लोगों को दूर भगाने के लिए उसी समय कुछ और राऊंड चलाए। गोली लगने के कारण श्री बलबीर सिंह, कांस्टेबल, भी जख्मी हो गए। इस घटना के कारण कैम्प में आंतक छा गया क्योंकि सभी हथियार मैगजीन कक्ष में रख दिए गए थे। यह सब कांस्टेबल राज सिंह ने इसलिए किया कि उसके विचार में छुट्टी मंजूर करने के संबंध में उसके साथ अन्याय किया गया। उसके पास अतिरिक्त मैगजीनों के साथ दो भरी हुई एस० एल० आर० थीं। इसी दौरान मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा। कांस्टेबल राज सिंह ने अपने उप-महानिरीक्षक इन्द्र सिंह जो उस समय सिलचर गए हुए थे, के सामने आत्म-समर्पण करने का वायदा किया। श्री के० लालछुंगा, दक्षिणी रेंज के उप-महानिरीक्षक, और श्री जे० आर० सालीग्राम, पुलिस अधीक्षक, घटनास्थल पर पहुंचे और कांस्टेबल राज सिंह को निःशस्त्र करने के लिए योजनाएं तैयार कीं। फिर भी उन्होंने श्री इन्द्र सिंह, उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, के पहुंचने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय किया। तत्पश्चात् श्री इन्द्र सिंह वहां आए और उन्होंने श्री के० लालछुंगा सहित श्री राज सिंह को आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया। लेकिन उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया। श्री इन्द्र सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और उस पर विजय पाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। इसलिए वह अपराधी को पकड़ने की योजना बनाते रहे। लगभग 21.35 बजे अपराधी राज सिंह स्वयं आग तापने के लिए मैस के भोजनालय के भीतर जाना चाहते थे। श्री के० आर० सालीग्राम, पुलिस अधीक्षक, भी वहां पर उपस्थित थे और श्री के० लालछुंगा, उप-महानिरीक्षक, दक्षिणी रेंज, वी० आई० पी० रूम में थे। जब अपराधी तंग रास्ते से भोजनालय की ओर जा रहा था तो श्री इन्द्र सिंह ने पकड़ने का प्रयत्न किया। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री इन्द्र सिंह बिजली की भांति तेज गति से अपराधी राज सिंह पर कूदे और उसे पीछे से पकड़ लिया। अपराधी ने अपने आपको छुड़ाने की पूरी कोशिश की परन्तु श्री इन्द्र सिंह ने ढील नहीं छोड़ी और राइफल को मजबूती के साथ पकड़ा। फिर भी अपराधी बाई ओर घूमा और एक गोली चलाई जो सौभाग्यवश आकाश की ओर गई। अपराधी ने पुनः श्री इन्द्र सिंह को अपनी राइफल का निशाना बनाया तथा दो और गोलियां चलाईं। परन्तु श्री इन्द्र सिंह ने इसे मजबूती से आकाश की ओर पकड़े रखा। इसी समय श्री के० लालछुंगा, पुलिस उप-महानिरीक्षक, साथ के वी० आई० पी० रूप से भागे और कांस्टेबल राज सिंह को कमर से पकड़ लिया। अपराधी पर काबू पाने के लिए गुत्थे समय श्री लालछुंगा तंग रास्ते में गिर पड़े। इसी दौरान श्री इन्द्र सिंह ने अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त किया और अपराधी को पकड़ा तथा उसे नीचे पछाड़ दिया। उसी समय श्री सालीग्राम, पुलिस अधीक्षक, भी घटनास्थल पर पहुंचे और श्री इन्द्र सिंह ने उसे अपराधी की एस० एल० राइफल जिसे उन्होंने अपने पांव के नीचे मजबूती से दबा रखा था, को छीनने का आदेश दिया। अन्ततः अपराधी राज सिंह को निःशस्त्र करके उस पर काबू पा लिया।

इस संक्रिया में श्री के० लालछुंगा, पुलिस उप-महानिरीक्षक, और श्री जे० आर० सालीग्राम, पुलिस अधीक्षक, ने साहस, सूझबूझ और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 दिसम्बर, 1983, से दिया जाएगा।

सं० 41-प्रेज/85—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री मोहन सिंह राठौर,
पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक,
हनुमानगढ़,
राजस्थान।

श्री उमेद सिंह,
कांस्टेबल सं० 1134,
(अब हैड कांस्टेबल ए० पी० 169),
जिला श्रीगंगानगर,
राजस्थान।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

डाकू मनीराम थोरी ने हनुमानगढ़ क्षेत्र में भय का आंतक फैला रखा था। 24 जुलाई, 1981, को डाकू मनीराम थोरी अपने साथियों के साथ थाना टीबी के अन्तर्गत गांव साहरणी की दाणी में लूट-पाट करने के लिए पहुंचा। डाकुओं ने गांव वालों को भयभीत करने के लिए अपनी 303 राइफलों से गोलियां चलाईं और उनकी सम्पत्ति लूटी। वे साहरणी की दाणी गांव से ट्रेक्टर में लूट की सम्पत्ति को लेकर चले गए और गांव भूटोला (हरियाणा) की ओर बढ़े जहां उन्होंने राजा राम जाट की हत्या कर दी। राजस्थान में प्रवेश करते समय पुलिस दल ने डाकुओं से पूछताछ की, किन्तु वे हनुमानगढ़ की ओर भागे। पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया। जवाबी गोलीबारी में पुलिस दल के साथ जा रही एक निजी जीप का ड्राइवर मारा गया।

25 जुलाई, 1981, को श्री मोहन सिंह राठौर, पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक, को डाकुओं की उपस्थिति की सूचना मिली। वह कांस्टेबल उमेद सिंह सहित घटनास्थल पर पहुंचे। जिला पुलिस से एक अन्य पुलिस दल भी घटना के स्थान पर पहुंच गया। दोनों पुलिस दलों ने डाकुओं का 6 किलोमीटर तक पीछा किया। भागते हुए अपराधियों ने गांव वासियों से एक ऊंट और एक ट्रैक्टर छीन लिए और गांव दौलतपुरा की ओर भाग। श्री राठौर ने तुरन्त दो दल बनाए और स्वयं जीप में डाकुओं का पीछा किया। ड्राइवर उन्हें एक घुमावदार सड़क से डाकू के ट्रेक्टर के नजदीक ले गया। श्री राठौर और कांस्टेबल उमेद सिंह डाकू मनी राम पर टूट पड़े और उन्होंने उसे गोली चलाने का मौका नहीं दिया तथा कसकर पकड़ लिया। उन्होंने उसे ट्रेक्टर से खेंच लिया। बाद में डाकू मनी राम को आर० ए० सी० जवानों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। लूटी गई सम्पत्ति और एक ट्रैक्टर के अतिरिक्त दो भरी हुई पिस्तौलें उससे बरामद की गईं।

इस मुठभेड़ में श्री मोहन सिंह राठौर, पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक, और श्री उमेद सिंह, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जुलाई, 1981, से दिया जाएगा।

सं० 42-प्रेज/85—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री देवकरण भारद्वाज,
उप-निरीक्षक सं० 665770 26,
77 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री देवकरण भारद्वाज, उप-निरीक्षक, को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सर्वेक्षण दल के साथ सीमा सुरक्षा बल के संरक्षक दल के कमांडर के रूप में सोनाहाट में तैनात किया गया था।

24 अप्रैल, 1984, की रात के लगभग 10.45 बजे श्री भारद्वाज ने बंगला देश राइफल के कार्मिकों की उनके बंकरों में कुछ असामान्य गतिविधियां देखीं। इसके बाद, श्री भारद्वाज और उनके दल पर बंगला देश राइफल्स द्वारा भारी गोलीबारी की गई। श्री देवकरण भारद्वाज, उप-निरीक्षक, विचलित नहीं हुए और अपने दल पर पूर्ण कमांड और नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के संरक्षक दल और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सर्वेक्षण दल को मोर्चे संभालने का आदेश दिया। बंगला देश राइफल्स ने अपने लाभदायक मोर्चों के कारण दल को पूर्णतः दबा दिया। बंगला देश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां एक दूसरे के बहुत निकट थीं और सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी द्वारा चलाई गई गोलियों से उनके अपने जवानों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। उप-निरीक्षक भारद्वाज जब अपने दल और सर्वेक्षण दल का बचाव कर रहे थे तो उनका दायां पैर गोली से जख्मी हो गया। जख्मों की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने लोगों में विश्वास बनाए रखा और उन्हें सफलतापूर्वक निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले गए।

श्री देवकरण भारद्वाज, उप-निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 अप्रैल, 1984, से दिया जाएगा।

सं० 43-प्रेज/85—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मैनेजर पांडेय,
पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

12 फरवरी, 1983, को रात के लगभग 2.00 बजे दो ट्रक ड्राइवरों ने क्लेमेंट नगर के उप-निरीक्षक को सूचित किया कि एक एकान्त स्थान पर कुछ सशस्त्र अपराधियों ने मुख्य देहरादून-सहारनपुर राजमार्ग पर उनके ट्रकों को रोकने का प्रयास किया। गाड़ियों को रोकने के लिए अपराधियों ने मुख्य सड़क पर कुछ पत्थर रख दिए। परन्तु अपराधियों द्वारा गोलियां चलाने पर भी ड्राइवर भागने में सफल हो गए। श्री मैनेजर पांडेय, पुलिस अधीक्षक, देहरादून, को उस घटना की तुरन्त सूचना दी गई। सूचना मिलने पर उन्होंने अनुकूल कार्रवाई की और उस पुलिस दल के साथ गए जो सफलतापूर्वक घटनास्थल की तरफ जा रहा था। जब पुलिस दल घटनास्थल के निकट पहुंचा तो उन्होंने कुछ बातचीत सुनी। श्री पांडेय ने अपराधियों को ललकारा जिन्होंने पुलिस दल पर गोली चला दी जिसके फलस्वरूप श्री पांडेय की अंगुलियों पर गहरी चोटें आईं। तब अपराधी एक नाले के शुष्क तल की तरफ वापिस गए। श्री पांडेय ने पुलिस दल सहित अपराधियों का पीछा किया। तब परस्पर गोलीबारी होती रही और पुलिस द्वारा इस मुठभेड़ में दो अपराधी मारे गए। अपराधियों से एक एस० बी० बी० एल० बन्दूक, एक सी० एम० पिस्तौल, एक हथगोला और गोला-बारूद बरामद किया गया।

श्री मैनेजर पांडेय, पुलिस अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 फरवरी, 1983, से दिया जाएगा।

के० सी० सिंह, राष्ट्रपति का उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 1985

सं० 44-प्रेज/85—राष्ट्रपति केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० नारायणन,
नायक सं० 7111262,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

11 दिसम्बर, 1982, को मध्याह्न लगभग 1.45 बजे दो अज्ञात सशस्त्र युवक भारतीय स्टेट बैंक की नामरप शाखा में घुस गये तथा बन्दूक की नोक पर 5.20 लाख रुपए लूट लिए। भागने से पूर्व अपराधी बाहर से बैंक के दरवाजे पर ताला लगा गए। किन्तु बैंक कर्मचारी पिछले दरवाजे से भागने में सफल हो गए तथा उन्होंने सहायता के लिए पुकार की। स्कूटर पर सवार अपराधियों का राहगीरों ने पीछा किया। एक अपराधी हिन्दुस्तान उर्वरक निगम (एच०एफ०सी०) के एक अभियन्ता को बन्दूक दिखा कर उसके वाहन पर सवार हो गया और उसे वाहन को शहर के बाहरी क्षेत्र की तरफ ले जाने के लिए धमकी दी। अन्य अपराधी, जिसके पास नोटों से भरा एक थैला था, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के आवासीय परिसर की तरफ दौड़ा और सवार होने के लिए जनरल मैनेजर की कार को रोका। कार के अन्दर नायक आर० नारायणन, सुरक्षा गार्ड, को जनरल मैनेजर के साथ देख कर अपराधी ने उस पर गोली चलाई। श्री नारायणन ने भी जवाब में गोली चलाई। तत्पश्चात एक दूसरे पर गोलियां चलाई गईं और इसी दौरान श्री नारायणन की दाईं जांघ पर गोली लगी। अपनी चोट की परवाह न करते हुए वे अपराधी का पीछा करते रहे और अन्त में स्थानीय निवासियों की सहायता से उसे पकड़ लिया। अपराधी से लूटी गई धनराशि वाले थैले को बरामद किया जिसे पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया।

इस प्रकार श्री आर० नारायणन, नायक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 दिसम्बर, 1982, से दिया जाएगा।

गु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 मार्च 1985

एडेंडम

सं० एम०-13016/12/84-समन्वय—नई दिल्ली, दिनांक कृपया कीमतें तथा जीवन निर्वाह लागत सांख्यिकी संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति के गठन के बारे में इस विभाग की दिनांक 22-8-1984 की अधिसूचना सं० एम०-13016/12/84-समन्वय के पैरा-1 की क्रम सं० 17 के बाद निम्नलिखित जोड़ें:—

18. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक,
महाराष्ट्र सरकार,
डी० डी० बिल्डिंग, पुराना कस्टम हाऊस,
बम्बई-400023।

आर० एम० सुन्दरम, अवर सचिव

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 1985

संकल्प

सं० 14016/1/77-पी० सी०-III—भारत सरकार ने योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में दिनांक 7 मार्च, 1981 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 1 में प्रकाशित संकल्प द्वारा कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया था। दिनांक 18 जनवरी, 1983 के संकल्प द्वारा इस समिति की अवधि 7 मार्च, 1983 से दो वर्षों के लिए बढ़ाई गई थी। सरकार ने अब इस समिति की अवधि 31 मार्च, 1985 तक आगे और बढ़ाने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश है कि यह संकल्प भारतीय राजपत्र के जन-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

आर० विश्वनाथन, डैस्क अधिकारी

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 मार्च 1985

आदेश

सं० 27/9/85-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क की उप-धारा (1) खंड (ii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री वी० एस० [illegible], संयुक्त निदेशक लेखा और श्री टी० अमरनाथ, सहायक निरीक्षण अधिकारी, को उक्त धारा 209क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करती है।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वी० एस० [illegible] निदेशक, जांच के पक्ष में पहले जारी किए गए आदेश संख्या 23/1[illegible]/81-सी० एल०-2 दिनांक 12-7-84 को रद्द करती है।

[illegible] एल० प्रभास, अवर सचिव

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1985

संकल्प

सं० 51-1/84-एल० डी० टी० (आर० पी०)—भारत सरकार ने देश में खुरपका तथा मुंहपका रोग विषाणु उपप्ररूप की व्यापकता का अध्ययन करने तथा टीके की प्रतिजनी क्षमता का मूल्यांकन करने, आदि के लिए खुरपका तथा मुंहपका रोग के संबंध में एक कृतक दल का गठन करने का निर्णय किया है। कृतक दल का गठन निम्न प्रकार होगा:—

1. डा० एम० एन० मेनन, पशुपालन आयुक्त (एक्स)	अध्यक्ष
2. डा० एस० रामचन्द्रन, सलाहकार, बायो-टैक्नोलोजी बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, मेहरोली रोड, नई दिल्ली।	सदस्य
3. एन० डी० डी० बी० की विनिर्माण संबंधी एकक, अर्थात् भारतीय प्रतिरक्षात्मक एकक से एक प्रतिनिधि	सदस्य
4. भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) से एक प्रतिनिधि	सदस्य
5. परियोजना समन्वयक, खुरपका तथा मुंहपका रोग के सम्बन्ध में सरल-विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, बंगलौर	सदस्य
6. एन० डी० डी० बी० के विपाणु प्ररूप केन्द्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7. खाद्य एवं कृषि संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8. पशु विषाणु अनुसंधान संस्थान से एक प्रतिनिधि (वर्ल्ड रीफ्रेन्स लेबोरेट्री, यू० के०)	सदस्य
9. डा० एन० सी० अहलूवा, संयुक्त आयुक्त (एल० एच०), कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव

कृतक दल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के पशु-स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्रतिनिधियों, राज्य के पशुपालन विभागों के निदेशकों, राज्य डेरी सहकारी संघों से एक तकनीकी प्रतिनिधि तथा खुरपका और मुंहपका रोग के टीके बनाने वाली दो यूनिटों (हेक्स्ट तथा वैप) में से प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रितों के रूप में आमंत्रित कर सकता है और अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय उनके द्वारा रखे गए विचारों पर विचार कर सकता है।

खुरपका और मुंहपका रोग से संबंधित कृतक दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—

1. [illegible] खुरपका और मुंहपका रोग की महामारी विज्ञान में [illegible] विशेष रूप से [illegible] खुरपका-मुंहपका रोगों के [illegible]।

1.2 [illegible] "रोग" [illegible] उत्पादन के लिए [illegible] किए जाने वाले प्ररूप के विषाणु विकृतियां

का अध्ययन करना, ताकि देश में सक्रिय प्ररूप ए की विकृतियों की किस्मों का प्ररूप तथा उप-प्ररूप पर इसके प्रभावों का पता लगाया जा सके।

1.2 देश में प्ररूप की विकृतियों के विभिन्न प्रयोगक्षेत्रों की तुलना करने के मापदंडों की जांच करना।

1.3 इस तथ्य का जायजा लेना कि प्ररूप और उप-प्ररूप के संबंध में अपनाई जा रही विधियां स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप है कि नहीं, यदि नहीं तो उसके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना।

1.4 निष्कर्षों के आधार पर देश में खुरपका और मुंहपका रोग के टीकों के लिए आवश्यक विशेषकर टीकों में शामिल की जाने वाली प्ररूप ए की विकृतियों के संदर्भ में, सम्मिश्रण और योजक शक्ति के संबंध में सिफारिशें करना।

2.0 खुरपका-मुंहपका रोग के संबंध में राष्ट्रीय महत्व की प्रयोगशाला के रूप में विकसित होने की क्षमता रखने वाली प्रयोगशाला, जो कि निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी होगी, का पता लगाने के उद्देश्य से देश में खुरपका-मुंहपका रोग के नियंत्रण और अनुसंधान से संबंधित विभिन्न प्रयोगशालाओं में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं अर्थात् रोग सुरक्षा तथा प्रतिरक्षण सुरक्षा की सुविधाओं का अध्ययन करना;

(क) प्रयोगक्षेत्रों में खुरपका-मुंहपका रोग का निरन्तर प्ररूप से प्रबोधन करना, और

(ख) विषाणुओं की विदेशी विकृतियों का संचालन करना, विषाणु बैंकों का रख-रखाव, टीकों के निर्माण के लिए टीकों के विनिर्माता के लिए उपयुक्त विषाणु विकृतियों का उत्पादन करना तथा उनकी आपूर्ति करना।

2.1 उपरोक्त समस्या के अल्पावधि और दीर्घावधि समाधान के संबंध में सिफारिशें करना।

कृतक दल अपनी कार्य पद्धति तैयार करेगा तथा देश में उपयुक्त स्थानों पर अपनी बैठक करेगा।

कृतक दल की बैठकों में भाग लेने के लिए कृतक दल के सदस्यों (विदेशी विशेषज्ञों के अतिरिक्त) का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का व्यय भार, उनके अपने संबंधित विभाग वहन करेंगे। अध्यक्ष को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान उस दर पर किया जाएगा, जिस दर पर कि भारत सरकार के उच्च वर्ग के अधिकारियों को दिया जाता है।

कृतक दल अपनी रिपोर्ट उसके गठन की तिथि से दो मास की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राज्य सरकारों संघ शासित प्रदेशों के पशु-पालन के सभी सचिवों तथा निदेशकों और भारत सरकार के विभागों व मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विष्णु भगवान, संयुक्त सचिव

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1985

संकल्प

सं० ई० 11011/15/80-हिन्दी—भारत सरकार ने पूर्ववर्ती ग्रामीण विकास मंत्रालय के 21 जुलाई, 1981 तथा 11 अप्रैल, 1983 के संकल्प संख्या ई-11011/15/80-हिन्दी के अन्तर्गत गठित ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को समाप्त करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों/सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नरेन्द्र पाल सिंह, उप सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 मार्च 1985

सं० 26-32/84-एल० आई०—राष्ट्रपति सहर्ष यह निदेशक देते हैं कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से डाक जीवन बीमा तथा सावधि जीवन बीमा से संबंधित नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात

उपरोक्त नियमों में,

(क) वर्तमान नोट-9 के नीचे नियम 22 में नोट 10 के बतौर एक नया नोट रखा जाए जो निम्न प्रकार है :—

"नोट-10 पोस्टमास्टर जनरल अपने सर्किल के विकास अधिकारी को इस स्पष्ट शर्त पर प्रस्तावक से प्रथम प्रीमियम की अग्रिम राशि वसूल करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं कि उनके जीवन में घटने वाली किसी भी दुर्घटना की तारीख इस उद्देश्य के लिए नियमों के अधीन पोस्टमास्टर-जनरल द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने की तारीख से पहले नहीं मानी जाएगी। पोस्टमास्टर जनरल द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने की तारीख ही वह तारीख मानी जाएगी जिस दिन से पालिसी के अंतर्गत जोखिम शामिल किया जाएगा।"

बी० एन० सोम, निदेशक (पी० एल० आई०)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 1985

सं० क्यू०-16012/1/84-डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०)—स्टैंडिंग कांफ्रेंस आफ पब्लिक इन्टरप्राइजिज के श्री आर० सी० दत्त के राष्ट्रीय श्रम संस्थान की महा परिषद से त्यागपत्र के परिणामस्वरूप, भारत सरकार स्टैंडिंग कांफ्रेंस आफ पब्लिक इन्टरप्राइजिज के श्री वारिस आर० किदवई को राष्ट्रीय श्रम संस्थान की महा परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

अतः भारत के राजपत्र के भाग I—खंड 1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू०-16015/1/82-डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०) दिनांक 29/30 अक्तूबर, 1982 में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं :—

वर्तमान प्रविष्टि के लिए

9. श्री आर० सी० दत्त, भा० प्र० से० (सेवा निवृत्त),
अवैतनिक सलाहकार, स्टैंडिंग कांफ्रेंस आफ पब्लिक इन्टरप्राइजिज,
8वीं मंजिल, हिमालय हाऊस, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली।

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए

श्री वारिस आई० किदवई,
महा सचिव, स्टैंडिंग कांफरेंस आफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज,
ए/81, हिमालय हाऊस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ।

सं० क्यू०-16012/2/85-डब्ल्यू० ई० (एन० एल० आई०)—राष्ट्रीय श्रम संस्थान के, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है, नियम और विनियमों के नियम ix (i) (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव श्री एम० एस० भटनागर को श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव श्री बी० जी० देशमुख, जिन्होंने 6-3-1985 (पूर्वाह्न) से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया है, के स्थान पर राष्ट्रीय श्रम संस्थान की कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

चिंता चोपड़ा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 6th April 1985

No. 38-Pres./85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Ram Chander Singh, (Posthumous)
Constable No. 614/N,
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of the 13th/14th March, 1984, Constable Ram Chander Singh of Police Station Kashmere Gate, was on patrolling duty alongwith another Constable in the School Road Area outside Mori Gate. This area was prone to robberies. At about 5·20 A.M. when both the constables were standing, on the road near police Assistance Booth, they noticed three youngmen coming from Mori Gate under suspicious circumstances. On seeing the Police Constables on duty, they turned back. Both the Constables chased them and cornered them in a lane near Chhotani Manzil on Nicholson Road. One of the desperadoes took out a revolver and fired two shots at Constable Ram Chander Singh. One of the bullets hit constable Ram Chander Singh on the right side of his hip which pierced through the abdomen. Although constable Ram Chander Singh was unarmed yet he tried to chase the desperadoes and in the process died on the spot laying down his life in the performance of his duty. The other Constable also chased them but the suspects made good their escape.

Shri Ram Chander Singh thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th March, 1984.

No. 39-Pres/85—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Indra Singh,
Deputy Inspector General of Police,
Central Reserve Police Force,
Aizawl (Mizoram).

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 22nd December, 1983, at about 9·00 A.M. Constable Raj Singh, 33 Bn, Central Reserve Police Force, while on quarter guard sentry duty at the Magazine Guard of Transit Camp Meharpur, Silchar, suddenly opened fire and killed Shri Babu Lal Sharma, Sub-Inspector, Shri Yudhisthir, Sub-Inspector and Shri Naresh Prasad, Radio Operator. He fired some more rounds at random to scare away other people. Shri Balbir Singh, Constable, was also injured of the firing. A panic prevailed in the Camp on account of this incident as all the arms and weapons were kept in the Magazine Room. This was done by Constable Raj Singh under the alleged impression that injustice had been done to him in regard to grant of leave. He was in possession of two loaded SLRs with extra magazine. In the meantime, the Magistrate and District Police authorities arrived and asked him to surrender. Constable Raj Singh agreed to surrender before his own Deputy Inspector General Indra Singh, who was away to Silchar at that time. Shri K. Lalchhunga, Deputy Inspector General, Southern Range and Shri J.R. Saligram, Supdt. of Police, also arrived at the scene and worked out plans to disarm Constable Raj Singh. They, however, decided to wait for the arrival of Shri Indra Singh, Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force. Later on Shri Indra Singh arrived and he with Shri K. Lalchhunga persuaded Shri Raj Singh to surrender but he refused to do so. Shri Indra Singh did not lose courage and continued his efforts to overpower him. He was, therefore, strategically planning how to get hold of the culprit.

At about 21·35 hours the accused Raj Singh wanted to go inside the kitchen of the mess for warming himself. Shri J.R. Saligram, Supdt. of Police was also present there and Shri K. Lalchhunga, Deputy Inspector General, Southern Range, was in the VIPs room. While the accused was going ahead towards the kitchen through a narrow passage, Shri Indra Singh siezed the opportunity. Unmindful of his personal safety, Shri Irdra Singh with lightning speed jumped upon the accused Raj Singh and caught hold of him from behind. The accused tried his best to free himself but Shri Indra Singh did not lose his grip and firmly caught hold of the rifle. The accused, however, managed to turn towards the left and fired one shot which fortunately went skywards. The accused again tried to aim the rifle towards Shri Indra Singh and fired two more rounds but Shri Indra Singh was firmly holding it towards the sky. At this time Shri K. Lalchhunga, Deputy Inspector General of Police, rushed from

the adjacent VIP room and caught Constable Raj Singh from his waist. While struggling to overpower the accused, Shri Lalchhunga fell down in the narrow passage. In the meanwhile Shri Indra Singh was able to regain his standing position and caught hold the accused and pinned him down. At that moment Shri Saligram, Supdt. of Police, also reached the scene and Shri Indra Singh asked him to remove the S. L. Rifles of the accused which he was firmly keeping beneath his foot. Finally the accused Raj Singh was overpowered, disarmed and taken into custody.

Shri Indra Singh, Deputy Inspector General of Police thus exhibited indomitalble courage, presence of mind and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22nd December, 1983.

No. 40-Pres./85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Assam Police :—

Name and rank of the officers

Shri K. Lalchhunga,
Deputy Inspector General of Police,
Cachar District, Assam.

Shri J.R. Saligram,
Supdt. of Police,
Cachar District, Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 22nd December, 1983, at about 9·00 A. M., Constable Raj Singh, 33 Bn., Central Reserve Police Force, while on quarter guard sentry duty at the Magazine Guard of Transit Camp Meharpur, Silchar, suddenly opened fire and killed Shri Babu Lal Sharma, Sub-Inspector, Shri Yudhisthir, Sub-Inspector and Shri Naresh Prasad, Radio Operator. He fired some more rounds at random to scare away other people. Shri Balbir Singh, Constable, was also injured of the firing. A panic prevailed in the Camp on account of this incident as all the arms and weapons were kept in the Magazine Room. This was done by Constable Raj Singh under the alleged impression that injustice had been done to him in regard to grant of leave. He was in possession of two loaded SLRs with extra magazine. In the meantime, the Magistrate and District Police authorities arrived and asked him to surrender. Constable Raj Singh agreed to surrender before his own Deputy Inspector General Indra Singh, who was away to Silchar at that time. Shri K. Lalchunga, Deputy Inspector General, Southern Range and Shri J.R. Saligram, Supdt. of Police, also arrived at the scene and worked out plans to disarm Constable Raj Singh. They, however, decided to wait for the arrival of Shri Indra Singh, Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force. Later on Shri Indra Singh arrived and he with Shri K. Lalchhunga persuaded Shri Raj Singh to surrender but he refused to do so. Shri Indra Singh did not lose courage and continued his efforts to overpower him. He was, therefore, stratagically planning how to get hold of the culprit.

At about 21.35 hours the accused Raj Singh wanted to go inside the Kitchen of the Mes for warming himself. Shri J.R. Saligram, Supdt. of Police, was also present there and Shri K. Lalchhunga, Deputy Inspector General, Southern Range, was in the VIPs room. While the accused was going ahead towards the kitchen through a narrow passage, Shri Indra Singh seized the opportunity. Unmindful of his personal safety, Shri Indra Singh with lightning speed jumped upon the accused Raj Singh and caught hold of him from behind. The accused tried his best to free himself but Shri Indra Singh did not lose his grip and firmly caught hold of the rifle. The accused, however, managed to turn towards the left and fired one shot which fortunately went skywards. The accused again tried to aim the rifle towards Shri Indra Singh and fired two more rounds but Shri Indra Singh was firmly holding it towards the sky. At this time Shri K. Lalchhunga, Deputy Inspector General of Police, rushed from the adjacent VIP room and Caught Constable Raj Singh from his waist. While struhgling to overpower the accused, Shri Lalchgunga fell down in the narrow passage. In the meanwhile Shri Indra Singh was able to regain his standing position and caught hold the accused and pinned him down. At that moment Shri Saligram, Supdt. of Police, also reached the scene and Shri Indra Singh asked him to remove the S. L. Rifle of the accused which he was firmly keeping beneath his foot. Finally the accused Raj Singh was overpowered disarmed and taken into custody.

In this incident Shri K. Lalchhunga, Deputy Inspector General of Police, and Shri J.R. Saligram, Supdt. of Police, exhibited courage, presence of mind and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd December, 1983.

No. 41-Pres./85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police :—

Name and rank of the officers

Shri Mohan Singh Rathore,
Addl. Supdt. of Police,
Hanumangarh (Rajasthan).

Shri Umed Singh,
Constable No. 1134
(now Head Constable No. 169),
District Sriganganagar,
Rajasthan.

Statement of services for which the decoration has been awarded

Dacoit Mani Ram Thori had created a reign of terror in the area of Hanumangarh. On the 24th July, 1981, Dacoit Mani Ram Thori alongwith

his associates, reached village Saharni-ki-Dhhani under police Station Tibi in order to commit robbery. The dacoits fired from their ·303 rifles to frighten the villagers and looted their property. They left the village Saharni-ki-Dhhani with the looted property in a tractor, and proceeded towards village Bhutola (Haryana) where they killed Shri Raja Ram Jat. While entering Rajasthan, the dacoits were questioned by the Police Party but they ran towards Hanumangarh. The Police chased the dacoits. During the exchange of fire, the driver of the private jeep accompanying the Police Party, was killed.

On the 5th July, 1981, Shri Mohan Singh Rathore, Addl. Supdt. of Police, received information about the presence of the dacoit gang. He alongwith Constable Umed Singh rushed to the spot. Another police party from District Police also reached the place of incident. Both the police parties chased the dacoits upto 6 kilometers. While fleeing, the culprits snatched a Camel and a Tractor from the villagers and ran towards village Daulatpura. Shri Rathore immediately formed two parties and he himself chased the dacoits on jeep. The driver took him near the tractor of the dacoit through a zig-zag road. Shri Rathore and Constable Umed Singh at once pounced upon the dacoit Mani Ram and grabbed him without giving him any chance to fire. They pulled him out of the tractor. Later dacoit Mani Ram was arrested with the help of RAC men. In addition to the looted property one tractor, two loaded pistols were recovered from him.

In this encounter Shri Mohan Singh Rathore, Additional Supdt. of Police and Shri Umed Singh, Constable, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th July, 1981.

No. 42-Pres/85—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri Dev Karan Bhardwaj,
Sub-Inspector No. 66577026,
77th Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

Shri Dev Karan Bhardwaj, Sub-Inspector was posted at Sonahat as BSF Protection Party Commander with the CPWD Survey team. On the 24th April 1984, at about 10·45 P.M. Shri Bhardwaj noticed some unusual movements of the Bangladesh Rifle personnel in their bunkers. Thereafter Shri Bhardwaj and his party came under heavy fire from Bangladesh Rifles. Shri Dev Karan Bhardwaj Sub-Inspector kept his presence of mind and maintained complete command and control of the party. He ordered the BSF Protection Party and the CPWD team to take up positions. The party was completely pinned down by the fire of the Bangladesh Rifles due to their advantageous positions. The Bangladesh Rifles and BSF troops were very close to each other and any fire from BSF troops could have endangered the safety of their own men, While saving his party and the survey team, Sub-Inspector Bhardwaj received bullet injury in his right foot. Undettered of the injury, he maintained confidence among his people and successfully extricated them to a safer place.

Shri Dev Karan Bhardwaj, Sub-Inspector. thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th April, 1984.

No. 43 Pres/85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Manager Pandey,
Supdt. of Police,
Dehradun (UP).

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 12th February, 1983, at about 2·00 A.M., two truck driver informed the Sub-Inspector Clement town that an attempt was made to hold-up their trucks at a lonely place on the main Dehradun-Saharanpur Highway by some armed criminals. The criminals had placed some stones on the main road, in order to stop vehicles but the drivers managed to escape inspite of the firing by the criminals. Shri Manager Pandey, Supdt. of Police Dehradun was immediately informed of the incident. He responded to the information and joined the Police Party which proceeded towards the spot in an unobstrusive manner. As the Police Party reached near the spot they heard some conversation. Shri Pandey challenged the criminals, who opened fire on the Police Party with the result Shri Pandey received a grazing injury on his fingers. The criminals then retreated towards the dry bed of a Nala. Shri Pandey alongwith the Police Party went in pursuit of the criminals. Then an exchange of fire took place and the Police party was able to kill two criminals in the encounter. One S.B.B.L. gun, a C.M Pistol, a hand grenade and ammunition were recovered from the criminals.

Shri Manager Pandey, Supdt. of Police thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th February, 1983.

K.C. SINGH,
Deputy Secretary to the President

New Delhi, the 9th April 1985

No. 44-Pres./85.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Industrial Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri R. Narayanan,

Naik (No. 7111262),

Central Industrial Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th December, 1982, at about 1.45 P. M., two unidentified armed youngmen entered into Namrup Branch of State Bank of India and robbed away Rs. 5.20 lakhs at gun point. Before escaping, the miscreants locked the gate of the Bank from outside. The Bank employees, however, managed to escape from the rear door and cried for help. The culprits, who were on a scooter, chased by the passersby. One of the culprits then took lift from an Engineer of Hindustan Fertilizer Corporation (H.F.C.) at gun point and threatened him to drive the vehicle towards the outskirt of the town. The other culprit who was carrying a bag containing currency Notes ran towards the residential compound of Hindustan Fertilizer Corporation and stopped the car of the General Manager for a lift. On seeing Naik R. Naryanan, Security Guard, accompanying the General Manager, the culprit fired at him. Shri Narayanan also fired in return. Then an exchange of fire took place between them and in the process Shri Narayanan was hit on his right thigh. Without caring for his injury he continued to chase the culprit and ultimately apprehended him with the help of local residents. The bag containing the looted money was recovered from the culprit, which was handed over to the police atuthorities.

Shri R. Narayanan, Naik, thus displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of the police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th December, 1982.

S. NILAKANTAN,
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF PLANNING

DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi-110001, the 14th March 1985

ADDENDUM

No. M-13016/12/84-Coord.—After Sl. No. 17 of Para 1 of this Department's Notification No. M-13016/12/84-Coord. dated 22-8-1984 regarding constitution of the Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living, Please add the following :—

18. Director of Economics and Statistics, Government of Maharashtra, D.D. Building, Old Customs House, Bombay-400023. — Member

R. M. SUNDARAM, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 21st March 1985

RESOLUTION

No. 14016/1/77-PC-III.—Government of India constituted a National Committee on the Use of Plastics in Agriculture under the Chairmanship of Dr. G.V. K. Rao, former Member, Planning Commisssion vide Resolution published in the Gazette of India (Extraordinary) Part I, Section I dated 7th March, 1981. The term of this Committee was extented for a period of two years from 7th March 1983, vide Resolution dated 18th January 1983. Government have since decided to extend the term of this Committee for a further period upto 31st March 1985.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territories Administration, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. VISWANATHAN, Desk Officer

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Dehi-1, the 26th March 1985

ORDER

No. 27/9/85-CL. II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (I) of section 209-A of the Comapanies Act, 1956 (I of 1956), the Central Government hereby authorises Shri V.S. Galgali, Joint Director Accounts and Shri T. Amarnath, Assistant Inspecting officer in the Department of Company Affairs, for the purpose of the said Section 209-A.

2. The Central Government hereby revokes the earlier authorisation issued in favour of Shri V.S. Galgali as Deputy Director Inspection vide order No. 27/12/84-CL. II dated 12-7-84.

C. L. PRATHAM, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 13th March 1985

RESOLUTION

No. 51-1/84-LDT(RP)—Government of India have decided to constitute a Task Force on Foot & Mouth Disease to Study the prevalence of Foot & Mouth Disease virus sub-types in the country and to assess the antigenic potential of vaccine etc. The composition of the Task Force would be as under :—

1. Dr. M.N. Menon, Animal Husbandry Commissioner (Ex.) — Chairman
2. Dr. S. Ramachandran, Adviser, Bio-Technology Board, Deptt. of Science & Technology, Technology Bhavan, Mehrauli Road, New Delhi. — Member
3. A representative from the Manufacturing Unit of NDDB i.e. Indian Immunologicals. — Member
4. A representative of IVRI (ICAR) — Member.
5. Project Coordinator, All India Coordinated Research Project for Epidemiological Studies on Foot & Mouth Disease, Bangalore. — Member
6. One Representative of Virus Typing Centre of NDDB — Member
7. A Representative from the F.A.O. — Member
8. A representative from the Animal Virus Research Institute, (World Reference Laboratory, U.K.) — Member
9. Dr. S.C. Adlakha, Joint Commissioner (LH) Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi. — Member-Secretary,

The Task Force may invite representative of the ICAR Headquarter dealing with Animal Health Research, Director of State Departments of Animal Husbandry, a technical representative From Dairy State Cooperative Federations and one representative each of the two Foot & Mouth Disease vaccine producing units (Hoechst and BAIF) as special invitees and consider their views while formulating their recommendations.

Terms of reference of Task Force on Foot & Mouth Disease are as follows :—

1·0 To examine the data available on the epidemiology of Foot & Mouth Disease in India with particular reference to F.M.D. Types A5/A10 and A22.

1·1 To study the type A virus strains used for Sera production for typing, at different periods of time to establish its implication on typing and subtyping of Type A Strains active in the country.

1·2 To examine the Criteria used for comparison of different field strains of type A in the country.

1·3 To assess whether typing and subtyping methods followed conform to internationally accepted norms and if not make suitable recommendations.

1·4 Based on the conclusions arrived at, to recommend the composition and valency of the Foot and Mouth Disease vaccine required in the country with particular reference to the type A strains to be incorporated in the vaccine.

2·0 To study the physical facilities i.e. disease security and retention security facilities available in the different laboratories connected with FMD control and research in the country with the objective of indentifying a laboratory with the capability of being developed as a national reference laboratory for FMD and which could be responsible for.

(a) monitoring of FMD in the field on a continuing basis and

(b) handling exotic strains of virus, maintenance of virus banks production and supply of appropriate candidate virus strains to manufacturers for vaccine manufacture.

2·1 Recommendations may be made for a short term and long term solution to the above problem.

The Task Force will devise its own methodology and meet at suitable places in the country.

For attending the meetings of the Task Force, the TA/DA of the Members of the Task Force (other than the foreign experts) would be met from their respective Departments/Organisations. The Chairman would be paid TA/DA as entitled to the highest category of officers of the Govt. of India.

The Task Force will submit its report within a period of two months from the date of its constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Secretaries and Directors of Animal Husbandry in the State Governments, Administrations of Union Territories and Departments and the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VISHNU BHAGWAN, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 28th March 1985

RESOLUTION

No. E-11011/15/80-Hindi—The Government of India have decided to dissolve with immediate effect, the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Rural Development constituted vide erstwhile Ministry of Rural Development Resolution No.E. 11011/-15/80-Hindi dated 21-7-1981 and 11-4-83.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N.P. SINGH
Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

P&T BOARD

New Delhi-110001, the 28th March 1985

No. 2632/84LI—The President is pleased to direct that with effect from the date fo issue of this Notification, the following further amendments shall be made in the Rules relating to Postal Life Insurance & Endowment Assurance, namely.

In the said rules—

(a) in rule 22, below the existing Note 9 a new note as Note 10 may be inserted as indicated below:—

"Note 10—The Postmaster General may authorise the Development Officer in his circle to collect advance deposit of the first premium from the proponent with the clear understanding that the risk of his (her) life will not commence in any case earlier than the date of the acceptance of the proposal by the Postmaster General under this rule. The date of commencement of risk will be the same as the date of acceptance of the proposal by the Postmaster General provided the advance deposit is not less than the amount of first premium as worked out after the proper scrutiny of the proposal."

B.N. SOM
Director (PLI)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 29th March 1982

No. Q-16012/1/84-WE(NLI)—Consequent upon the acceptance of resignation of Shri R.C. Dutt of the Standing Conference of Public Enterprises from the General Council of the National Labour Institute, the Government of India hereby appoint Shri Waris R. Kidwai, of the Standing Conference of Public Enterprises as Member of the General Council of the National Labour Institute.

The following changes shall accordingly be made in the Ministry of Labour Notification No. Q-16015/1/82-WE(NLI) dated 29/30th October, 1982 published in the Gazette of India Part I, Section 1 as amended from time to time.

For the existing entry viz:

9. Shri R.C. Dutt, ICS (Retd.)
Honorary Adviser,
Standing Conference of Public Enterprises,
8th Floor Himalaya House,
Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi.

The following entry shall be *substitued:*

9. Shri Waris R. Kidwai
Secretary General,
Standing Conference of Public Enterprises,
A/81, Himalaya House,
Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi.

No. Q16012/2/85—WE(NLI)—In pursuance of Rule IX (i) (a) of the Rules and Regulations of the National Labour Institute, a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Punjab Amendment Act, 1957), the Central Government hereby appoints Shri H.M.S. Bhatnagar, Secretary, Ministry of Labour, New Delhi as the Chairman of the Executive Council of the National Labour Institute *vice* Shri B. G. Deshmukh, Secretary Ministry of Labour and Rehabilitation, New Delhi who relinquished the charge of the post on 6-3-85 (FN)

CHITRA CHOPRA
Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1985